



2026:AHC:20464

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3232, वर्ष 2025

भारत लाल भाटी
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता :

प्रेम प्रकाश यादव, सुखवीर सिंह
सी.एस.सी. सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता श्री शरद चंद्र सिंह तथा प्रतिवादी-गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।
2. यह जनहित याचिका (पी.आई.एल.) निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-
 - i. एक उपयुक्त प्रकृति को रिट, आदेश या निर्देश, जिसमें प्रतिवादी राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे सहायक कलेक्टर, जिला मेरठ (न्यायिक) के आदेश के अनुपालन में, ग्राम जमालपुर, तहसील-सदर, जिला-गौतमबुद्ध नगर में स्थित चक मार्ग, गाटा संख्या 132 से अवैध अतिक्रमण को तत्काल और समयबद्ध तरीके से हटाएँ।
 - ii. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे गाटा संख्या 132 पर अवैध अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार प्रतिवादी संख्या 7 से 10 के विरुद्ध तत्काल एवं आवश्यक कार्रवाई करें, तथा अनाधिकृत कब्जे को हटवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B जो अब यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 है के तहत चल रही कार्यवाही में, तहसीलदार द्वारा संबंधित भूखंड के संबंध में निजी प्रतिवादी के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



खिलाफ बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उस आदेश को मौके पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने भी खारिज कर दिया है। उन्होंने अनुरोध किया कि संबंधित भूखंड से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. शासकीय अधिवक्ता और गाँव सभा के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत हुई कार्यवाही में पारित आदेश को लागू करने/क्रियान्वित करने के लिए दायर यह जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत चल रही कार्यवाही में, विचाराधीन भूखंड के संबंध में तहसीलदार द्वारा बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है, और अपील में तहसीलदार के इस आदेश को बरकरार रखा गया है।

7. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत पारित आदेश के निष्पादन के लिए, उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के पैराग्राफ 460 में उपाय प्रदान किया गया है; अतः, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत कार्यवाही में पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए यह पीआईएल स्वीकार्य नहीं है।

8. तदनुसार, यह पीआईएल इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि विधि के अनुसार, यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 में निहित प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

29 जनवरी 2026

सी प्रकाश

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)